न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 96/2021
GCMS NO. : 2021/00227

–: वादी :–

01.प्रहलाद पुत्र मांगु जाति–गुर्जर साकिन कोटड़िया ग्राम मोहनगढ
02.जुगराज एम.पुत्र मांगुराम 10 आर्यन रोड़ हाल निवास रोयापुरम चैन्नई तमिलनाडु 600013
03.मथियादेवी पुत्र मांगुराम जाति–गुर्जर निवासी कोटड़िया हाल निवासी खिमेल जिला–ब्यावर
04.सुन्दरी देवी पत्नी मांगुराम जाति गुर्जर निवासी कोटड़िया तहसील जैतारण जिला–ब्यावर
05.शान्ति देवी पुत्री मांगुराम जाति– गुर्जर निवासी–कोटड़िया तहसील जैतारण हाल मुकाम आसरलाई तह. जैतारण, जिला–ब्यावर

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार जैतारण जिला–ब्यावर (राज)
2. पटवारी, पटवार हल्का कुड़की
3. कानाराम पुत्र जीवनराम
4. कालुराम दत्तक पुत्र नारायणराम
5. किशनाराम पुत्र अन्नाराम
6. किशनाराम पुत्र गिरधरीराम
7. चन्द्राराम पुत्र लाबुराम
8. छोटूराम पुत्र प्रतापराम
9. देवीराम पुत्र गणेशराम
10. प्रभुराम पुत्र जीवनराम
11. पांचाराम पुत्र लादुराम के का. मु.
    - 11/1 भीवराज पुत्र पांचाराम
    - 11/2 भागचन्द पुत्र पांचाराम
    - 11/3 सियाराम पुत्र पांचाराम
12. पुसाराम पुत्र रेवतराम के का. मु.
    - 12/1 तेजपाल पुत्र पुसाराम
    - 12/2 रायमल पुत्र पुसाराम
    - 12/3 रड़मल पुत्र पुसाराम
    - 12/4 गोपाल पुत्र पुसाराम
13. भंवरूराम पुत्र अन्नाराम
14. मुगनाराम पुत्र अन्नाराम के का.मु.
    - 14/1 छोटीदेवी पत्नी मुगनाराम
    - 14/2 अमराराम पुत्र मुगनाराम गुर्जर सा. कोटड़िया
15. रूपाराम पुत्र उदाराम
16. रामदेव पुत्र उदाराम
17. लालाराम पुत्र लादुराम
18. श्रवणलाल पुत्र लादूराम

जातियान–गुर्जर निवासीगण कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की जैतारण जिला– ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:02 IST
Reason: Self Attested

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.11.08.2021

उपस्थितः– 1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता वादीगण

2. सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 29/07/2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा मोहनगढ, पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 487 रकबा 7.0901 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 528 रकबा 2.0801 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.5666 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.0081 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.7449 हैक्टेयर कृषि भूमि अवस्थित है। ऊपर वर्णित आराजी पर वादी का नितान्त रूप से कब्जा काश्त बिना किसी व्यवधान के शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। नकल मिसल बंदोबस्त की वाद पत्र के साथ पेश है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 वाद पत्र के साथ पेश हैं। ऊपर वर्णित कृषि आराजी को संशोधित वाद पत्र में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया जायेगा। मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 बनाते वक्त तत्कालीन पटवारी ने मुतदाविया आराजी के 1/4 हिस्से के खातेदार मांगुराम पुत्र हजारीराम के स्थान पर मिसल बंदोबस्त में हजारीराम पुत्र मांगुराम सहवन से कर दिया, जो बदस्तूर चला आ रहा है, मिसल बंदोबस्त के समय हुई मानवीय गलती को दुरुस्त करने हेतु घोषणात्मक वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश है, जो श्रीमान् के लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर की हैसियत व उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार का है। अतः हजारीराम पुत्र मांगुराम के स्थान पर मांगुराम पुत्र हजारीराम किया जाना आवश्यक है। शेष खाता बदस्तुर कायम है। मांगुराम पुत्र हजारीराम के फौत हो जाने पर उनके विधिक वारिसान प्रहलाद, जुगराज एम., मथिया देवी, व सुन्दरी देवी, शान्ति देवी ने घोषणात्मक संशोधित वादपत्र पेश किया है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगग का 1/4 हिस्सा मुतदाविया आराजी में घोषित किया जावें। मांगुराम पुत्र हजारीराम को साबित करने हेतु सरकारी प्राथमिक साक्ष्य दावे के साथ पेश है। उन्ही के आधार मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2022 से 2030 को दुरुस्त करने हजारीराम पुत्र मांगु के स्थान पर मांगुराम पुत्र हजारीराम व मांगुराम फौत होने के कारण इनके विधिक वारिसान वादीगण का मुतदाविया आराजी में जरिये घोषणात्मक आज्ञिप्ति जारी करने का निर्णय व आदेश न्यायोचित फरमावें। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 सरकारी नुमाइन्दे है इनके विरुद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व 80(2) सीपीसी का नोटिस Mandatory है, वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण without Notice dispense with किए यह वाद पत्र इनके खिलाफ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

दपत्र पेश करने की अनुज्ञा हेतु अलग से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) पीसी का पेश है । मालियत दावा घोषणा हेतु 400 की कायम की जाकर तय दा मुकरर न्यायालय शुल्क दावे के साथ पेश है। बिनाय दावा दिनांक 7-08-2021 की वर्तमान नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर बमुकाम ग्राम मोहनगढ़ में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 18 को बार-बार आवाजें लगाई जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे लिहाजा इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जो शा.मि. है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2804 दिनांक 20.05.2024 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में कथन किया है कि राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 96/2021 बअनवान प्रहलाद बनाम तहसीलदार जैतारण के सम्बन्ध में भू.अ. निरीक्षक रास द्वारा मौके पर उपस्थित होकर पक्षकार, मौतबिरान व मजमें आम में जांच करने पर पाया कि वादीगण प्रहलादराम वगैरह के पिता का सही नाम मांगूराम पुत्र हजारीराम था परन्तु वक्त सैटलमेन्ट ही हजारीराम पुत्र मांगुराम गलत दर्ज हो गया। उपस्थित मौतबिरान व वादीगण के सहखातेरों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर वादीगण के पिता का उनके हिस्से की भूमि पर लगातार कब्जा रहा है। राजस्व ग्राम मोहनगढ में हजारीराम पुत्र मांगुराम गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, न ही वर्तमान में निवास करता है। वादीगण के सहखातेदार अनुसार ग्राम- मोहनगढ के खसरा नम्बर 487, 528, 529, 530 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 9.7449 हैक्टयर में वादीगण का निर्विवाद कब्जा चला आ रहा है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई तथा उस पर गौर कर मनन किया। हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर संलग्न समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1.वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मोहनगढ, पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण जिला-ब्यावर में खसरा संख्या 487, 528, 529, व 530 कुल 04 खसरा रकबा 9.7449 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2011 से 2030 बनाते वक्त तत्कालीन पटवारी ने मुतदाविया आराजी 1/4 हिस्से के खातेदार मांगुराम पुत्र हजारीराम के स्थान पर मिसल बंदोबस्त में हजारीराम पुत्र मांगुराम सहवन से दर्ज कर दिया जो बदस्तूर चला आ रहा है, मिसल बंदोबस्त के समय हुई मानवीय अवधानता वश गलती को दुरुस्त करने की इस्तदुआ की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है वादीगण प्रहलादराम वगैरा के पिता का सही नाम मांगूराम पुत्र हजारीराम था परन्तु वक्त सैटलमेन्ट ही हजारीराम पुत्र मांगुराम गलत दर्ज हो गया। उपस्थित मौतबिरान व वादीगण के सहखातेदारों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर वादीगण के पिता का उनके हिस्से की भूमि पर लगातार कब्जा रहा है।

3. वादी प्रहलाद पुत्र मांगुराम जाति गुर्जर साकिन कोटड़िया तहसील जैतारण द्वारा साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 प्रस्तुत कर कथन किया है सरहद मोजा मोहनगढ पटवार हल्का कुड़की में खसरा नम्बर 487 रकबा 7.0901 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 528 रकबा 2.0801 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 529 रकबा 0. 5466 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा कुल 04 खसरा रकबा 9.7449 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें वादी का पुश्तैनी रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी कब्जा काश्त नितान्त रूप से सतत् आज दिन तक भी चला आ रहा है। वर्णित आराजी का 1/4 हिस्सा मांगुराम पुत्र हजारीराम का है। वक्त सेट्लमेंट मिसल बंदोबस्त में मानवीय भूल से हजारीराम पुत्र मांगुराम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो गया जिसे दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में प्रदर्श 1 ग्राम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खसरा संख्या 487,528,529 व 530 में हजारीराम पुत्र मांगुराम जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श- 2ए मृत्यु प्रमाण-पत्र में मांगूराम पुत्र हजारी राम की दर्ज है। प्रदर्श-3ए वादी के पिता मांगूराम का आधार कार्ड, प्रदर्श-4 वादी प्रहलादराम के पिता मांगूराम का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति इत्यादि दस्तावेजात् में वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मांगूराम पुत्र हजारीराम अंकित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि वादी के पिता मांगूराम पुत्र हजारीराम एवं वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज हजारीराम पुत्र मांगूराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति [illegible] सही एवं वास्तविक नाम हजारीराम पुत्र मांगूराम न होकर [illegible] है। वादी के पिता का नाम भू-अभिलेख में वक्त सेटलमेन्ट [illegible] है। भू अभिलेख में दर्ज हजारीराम पुत्र मांगूराम वस्तुतः एक लिपिकीय [illegible] जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में अपने पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि हजारीराम पुत्र मांगूराम को विलोपित करते हुये उसके स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

र सही प्रविष्टि मांगूराम पुत्र हजारीराम दर्ज करवाने एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा–मोहनगढ, पटवार हल्का– कुड़की में खसरा नम्बर 487 रकबा 7.0901 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 528 रकबा 2.0801 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.5466 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा कुल 04 खसरा रकबा 9.7449 हैक्टयर बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि **"हजारीराम पुत्र मांगूराम"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"मांगूराम पुत्र हजारीराम"** दर्ज कर मृतक खातेदार मांगूराम पुत्र हजारीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की को वादग्रस्त आराजी में खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू–अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार मांगूराम पुत्र हजारीराम के विधिक वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार मांगूराम पुत्र हजारीराम के विधिक वारिसान की सूची एवं आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक् से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाख़िल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 29/07/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

01.प्रहलाद पुत्र मांगु जाति– गुर्जर साकिन कोटड़िया ग्राम मोहनगढ
02.जुगराज एम.पुत्र मांगुराम 10 आर्यन रोड़ हाल निवास रोयापुरम चैन्नई तमिलनाडु 600013
03.मथियादेवी पुत्र मांगुराम जाति–गुर्जर निवासी कोटड़िया हाल निवासी खिमेल जिला–ब्यावर
04.सुन्दरी देवी पत्नी मांगुराम जाति गुर्जर निवासी कोटड़िया तहसील जैतारण जिला–ब्यावर
शान्ति देवी पुत्री मांगुराम जाति–गुर्जर निवासी– कोटड़िया तहसील जैतारण हाल मुकाम आसरलाई तह. जैतारण, जिला–ब्यावर

बनाम

1. तहसीलदार जैतारण जिला– ब्यावर (राज)
2. पटवारी, पटवार हल्का कुड़की
3. कानाराम पुत्र जीवनराम
4. कालुराम दत्तक पुत्र नारायणराम
5. किशनाराम पुत्र अन्नाराम
6. किशनाराम पुत्र गिरधरीराम
7. चन्द्राराम पुत्र लाबुराम
8. छोटूराम पुत्र प्रतापराम
9. देवीराम पुत्र गणेशराम
10. प्रभुराम पुत्र जीवनराम
11. पांचाराम पुत्र लादुराम के का.मु.
    11/1 भीवराज पुत्र पांचाराम
    11/2 भागचन्द पुत्र पांचाराम
    11/3 सियाराम पुत्र पांचाराम
12. पुसाराम पुत्र रेवतराम के का.मु.
    12/1 तेजपाल पुत्र पुसाराम
    12/2 रायमल पुत्र पुसाराम
    12/3 रड़मल पुत्र पुसाराम
    12/4 गोपाल पुत्र पुसाराम
13. भंवरूराम पुत्र अन्नाराम
14. मुगनाराम पुत्र अन्नाराम के का.मु.
    14/1 छोटीदेवी पत्नी मुगनाराम
    14/2 अमराराम पुत्र मुगनाराम गुर्जर सा. कोटड़िया
15. रूपाराम पुत्र उदाराम
16. रामदेव पुत्र उदाराम
17. लालाराम पुत्र लादुराम
18. श्रवणलाल पुत्र लादूराम

जातियान–गुर्जर निवासीगण कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की तह– जैतारण जिला– ब्यावर

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0:– 96/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 16:07:22 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल पेश होकर ....–..... व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मु... व तहसील जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा–

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

निम्बोल, पटवार हल्का– निम्बोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान में खसरा संख्या 993 रकबा 3–07 बीघा व खसरा नम्बर 966 रकबा 3–06 बीघा, खसरा नम्बर 990/2 रकबा 03–18 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता अहमदखां पुत्र रमजानखां के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि **"हजारीराम पुत्र मांगूराम"**, को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"मांगूराम पुत्र हजारीराम"** दर्ज कर मृतक खातेदार मांगूराम पुत्र हजारीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की को वादग्रस्त आराजी में खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू–अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार मांगूराम पुत्र हजारीराम के विधिक वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार मांगूराम पुत्र हजारीराम के विधिक वारिसान की सूची एवं आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **29/07/2024** को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	11–00	स्टाम्प अर्जी	/
स्टाम्प वजह सबूत	05–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	12–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	33–00	मिजानः–	–nil–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो ... जिनको चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested